न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस

पत्रावली संख्याः– 01 / 2017 / निगरानी

ग्राम पंचायत करड़ पंचायत समिति, दांतारामगढ जिला सीकर (राज0) जरिये सरपंच मन्नीदेवी पत्नि श्रवणलाल उम्र 48 वर्ष जाति जाट निवासीगण ग्राम बाल्यावास तन करड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

निगरानीकर्ता

बनाम

लालाराम पुत्र नाथूराम उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम करड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध निर्णय दिनांकित 07.10.2016 द्वारा पारित न्यायालय प्रशासन स्थायी समिति पंचायत समिति, दांतारामगढ अपील सं.07 / 2016 उनवानी लालाराम बनाम ग्राम पंचायत करड़

वकील प्रार्थी श्री महेश कुमार पटेल
वकील अप्रार्थी श्री मदनलाल कुमावत

निर्णय **दिनांकः–19.04.2018**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि गैर निगरानीकर्ता के पक्ष में निगरानीकर्ता के द्वारा ग्राम करड़ की आबादी भूमि में बस स्टेण्ड के पास राजस्थान पंचायत अधिनियम 1973 की धारा 71 के तहत पंचायतो के प्रभारी अधिकारी जिला न्यायाधीश द्वारा नियुक्त जो कि राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 (राजस्थान एक्ट 21, 1953) के अधीन स्थापित की गयी ग्राम पंचायत करड़ द्वारा पट्टा दिया गया है, जिस पट्टे में वर्णित शर्त (1 लगायत 8) की पालना न करने पर पट्टे की शर्त संख्या 8 के मुताबिक आवंटन अधिकारी द्वारा पट्टे को रदद् करने का अधिकार दिया गया है इसलिए निगरानीकर्ता द्वारा जारी उक्त पट्टे के बाबत वर्णित शर्तो की पालना गैरनिगरानीकर्ता द्वारा करना कानूनन रूप से आवश्यक था किन्तु गैर निगरानीकर्ता द्वारा पालना नहीं की गयी क्योंकि निगरानीकर्ता ने पट्टे की शर्त सं. 3, 7, 8 का उल्लघंन करने पर उक्त भू–खण्ड का आवंटन को दिनांक 29.12.2015 को प्रस्ताव सं. 1 के द्वारा वापस ग्राम पंचायत करड (आवंटन अधिकारी) द्वारा अवाप्त किया गया था जिसके सम्बंध में आम सूचना क्रमांक 272–301 दिनांकित 29.12.2015 को निकाली थी जिसके विरूद्ध गैर निगरानीकर्ता द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय स्थायी प्रशासन समिति पंचायत समिति, दांतारामगढ के समक्ष अपील सं. 07 / 2016 ब उनवानी लालाराम बनाम ग्राम पंचायत करड़ प्रस्तुत की गयी, जिसमें योग्य अधीनस्थ न्यायालय स्थायी प्रशासन समिति दांतारामगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07.10.2016 के माध्यम से यह निर्णय पारित कर दिया कि राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 267(1) के तहत निःशुल्क भू–खण्ड आवंटन किया गया था एवं इसमें यदि गलत आवंटन होता है तो ग्राम पंचायत की मूल आज्ञा की अपील नियम 270 के तहत 30 दिवस की समयावधि में पंचायत समिति में अपील किये जाने का प्रावधान है। यदि आवंटन दोषपूर्ण है तो पंचायत के मूल आज्ञा की अपील पंचायत समिति में की जानी चाहिये थी। आवंटन अधिकारी को पट्टा निरस्त कर भूमि अवाप्त करने का कोई प्रावधान ... पट्टा निरस्त कर भमि अवाप्त करना अवैधानिक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गया था जो सर्वथा गलत एवं वेगसेशन आधारों पर विधि एवं प्रश्नगत सम्पदा के वास्तविक तथ्यों के विपरित प्रस्तुत की गयी थी क्योंकि गैर निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में प्रश्नगत सम्पदा के बाबत जब पट्टा लिया गया था उस समय वास्तविक तथ्यों को छुपाकर सरकारी सम्पदा को हड़पने की गरज से अवैध प्रक्रिया के तहत पट्टा लिया गया था क्योंकि वरवक्त पट्टा जारी करने के समय गैर निगरानीकर्ता अवयस्क था जबकि कानूनन रूप से अवयस्क से संव्यवहार शुन्य होता है। अधीनस्थ न्यायालय में गैर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित चुनौतीग्रस्त पट्टे जारी करने के लिए पात्रता अनुसूचित जाति, जनजाति, कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषको को आबादी भूमि से निःशुल्क आवासीय प्रयोजनार्थ भू-खण्ड का आवंटन का प्रावधान था किन्तु गैर निगरानीकर्ता उक्त शर्तों में वर्णित प्रावधानों में नहीं आता है क्योंकि गैर निगरानीकर्ता सामान्य जाति का व्यक्ति है। अधीनस्थ न्यायालय में गैर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 29.12.2015 एवं आम सूचना आदेश क्रमांक 272-301 दिनांक 29.12.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की थी जबकि कानूनन रूप से उक्त आदेशों की तिथि में एक माह के भीतर ही अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी किन्तु गैर निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की थी तथा गैर निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ में देरी कन्डोन करने के लिए कोई आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया था। गैर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में निगरानीकर्ता द्वारा दिया गया पट्टा निरस्ती का आदेश पूर्ण रूप से वैध था क्योंकि निरस्त पट्टा जारी किया उस समय आवंटन की शर्त सं 08 के तहत प्रश्नगत सम्पदा पर दो वर्ष के अन्दर मकान या झोपड़ी इत्यादि बनाना अनिवार्य था किन्तु गैर निगरानीकर्ता द्वारा शर्त सं. 08 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना न करने के कारण निगरानीकर्ता को पट्टा निरस्त करने का अधिकार प्राप्त था जिसके तहत ही विधिक प्रक्रिया अपनाकर निगरानीकर्ता ने पट्टा निरस्त किया था। अपीलाधीन निर्णय में यह तथ्य कानूनी प्रावधानों के विपरित अंकित किया गया है कि राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 267(1) के तहत निःशुल्क भू-खण्ड आवंटन किया गया था एवं इसमें यदि गलत आवंटन होता है तो ग्राम पंचायत की कूल आज्ञा की अपील नियम 270 के तहत 30 दिवस की समयावधि में पंचायत समिति में अपील किया जाने का प्रावधान है। यदि आवंटन दोषपूर्ण है तो पंचायत के मूल आज्ञा की अपील पंचायत समिति में की जानी चाहिये थी। आवंटन अधिकारी को पट्टा निरस्त कर भूमि अवाप्त करने का कोई प्रावधान नियमों में नही है। उक्त नियम सामान्य नियम है जो कि राजस्थान पंचायत नियम 1961 के नियम 267(1) के उपर लागू होता है किन्तु प्रश्नगत पट्टा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत विशेष प्रावधानों के तहत जारी किया गया था, जिसमें पंचायत आवंटन अधिकारी को पट्टे में वर्णित शर्तों की पालना न करने पर पट्टा निरस्त करने का अधिकार दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त निर्णय दिनांकित 07.10.2016 एक पक्षीय है जिसके कारण निगरानीकर्ता को पूर्व में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं हो पायी। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय स्थायी प्रशासन समिति दांतारामगढ जिला सीकर(राज.) द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त निर्णय दिनांकित 07.10.2016 निरस्त फरमाया जाकर निगरानीकर्ता द्वारा पारित प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 29.12.2015 एवं सूचना तिथि क्रमांक 272-301 दिनांक 29.12.2015 को बहाल किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा पूर्वोक्त कथनों की पुनरावृति करते हुए निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया। अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता का कथन है कि गैरनिगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के पश्चात् गैरनिगरानीकर्ता पट्टाशुदा भूमि पर आवास निवास कर रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे में उल्लेखित बिन्दु संख्या 8 की पालना गैरनिगरानीकर्ता द्वारा नहीं करने के आधार पर खारिज किया गया है जो नियम विरूद्ध किया गया है। पट्टाशुदा भूखण्ड पर गैरनिगरानीकर्ता द्वारा छड़िया, पत्थर आदि डालकर रखे है एवं आवास निवास कर रहा है। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत करड़ द्वारा गैरनिगरानीकर्ता लालाराम पुत्र नाथूराम जाति जाट निवासी करड़ के नाम से अनुसूचित जाति व जन जाति, कारीगरों/लघु व सीमान्त कृषक को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय आवंटन भूखण्ड के तहत पट्टा जारी किया गया है

उल्लेखित बिन्दु संख्या 8 की पालना गैरनिगरानीकर्ता द्वारा नहीं किये जाने के आधार पर प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 29.12.2015 एवं सूचना तिथि क्रमांक 272–301 दिनांक 29.12.2015 के द्वारा पट्टा खारिज किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय प्रशासन स्थायी समिति पंचायत समिति दांतारामगढ़ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07.10.2016 में अंकित किया है कि "पत्रावली पर आये साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। सदन में इस पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। पट्टे की प्रति का अवलोकन किया गया। राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 267(1) के तहत निशुल्क भूखण्ड आवंटन किया गया था एवं इसमें यदि गलत आवंटन होता है तो ग्राम पंचायत की मूल आज्ञा की अपील नियम 270 के तहत 30 दिवस की समयावधि में पंचायत समिति में अपील किये जाने का प्रावधान है। यदि आवंटन दोष पूर्ण है तो पंचायत के मूल आज्ञा की अपील पंचायत समिति में की जानी चाहिए थी। आवंटन अधिकारी को पट्टा निरस्त कर भूमि अवाप्त करने का कोई प्रावधान नियमों में नहीं है। ग्राम पंचायत करड़ द्वारा पट्टा निरस्त कर भूमि अवाप्त करना अवैधानिक व नियम विरूद्व है। सदन द्वारा व्यापक विचार विमर्श कर ग्राम पंचायत करड़ के प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 29.12.2015 व आम सूचना/आदेश क्रमांक 272–301 दिनांक 29.12.2015 को खारिज किया जाता है।" पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत करड़ द्वारा दिनांक 20.07.2011 को जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र में उल्लेखित किया गया है कि "ग्राम करड़ में मुख्य बस स्टेण्ड से उत्तर दिशा में राठियों की ढ़ाणी जाने वाले आम रास्ते पर सांड शाला व उप स्वास्थ्य केन्द्र से पूर्व दिशा में रास्ता छोड़कर एवं श्री नारायण सिंह पुत्र श्री गंगासिंह राजपूत के मकानात आटा चक्की से रास्ता छोड़कर उत्तर दिशा में एक आवासीय प्लाट 150 वर्ग गज का स्थित है। ग्राम पंचायत करड़ द्वारा जारी इस प्लाट का पट्टा लालाराम पुत्र नाथूराम भंवरिया के स्वामित्व का है। इस प्लाट में कच्चा छान छप्पर, छड़िया, पत्थर, ईंटे आदि है और घरेलू उपयोग में लिया जा रहा है। प्लाट के तारबन्दी बाड़ है। इस प्लाट का पट्टा ग्राम पंचायत करड़ द्वारा पट्टा संख्या 09 वर्ष 1975 में जारी किया हुआ है। वर्तमान में लालाराम इस पर काबिज है।" ग्राम पंचायत करड़ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.12.2015 द्वारा गैरनिगरानीकर्ता पट्टे में बिन्दु संख्या 8 की पालना नहीं करने पर पट्टा खारिज किया गया है जबकि ग्राम पंचायत करड़ द्वारा दिनांक 20.07.2011 को जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र में गैरनिगरानीकर्ता को काबिज होना बताया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत करड़ द्वारा उक्त प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 29.12.2015 व आम सूचना/आदेश क्रमांक 272–301 दिनांक 29.12.2015 जारी करने से पूर्व विधिवत प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। ग्राम पंचायत के द्वारा स्वयं के द्वारा जारी पट्टा/आवंटन को अपने स्तर पर ही निरस्तगी का निर्णय लिया गया है, जबकि यदि पट्टा/आवंटन निरस्त करवाना हो तो नियमानुसार पंचायत राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अपील/निगरानी की जानी चाहिए थी। अतः न्यायालय स्थाई समिति, पंचायत समिति दांतारामगढ़ के निर्णय दिनांक 07.10.2016 में किसी प्रकार की दखलन्दाजी की आवश्यकता नहीं है। ग्राम पंचायत पट्टा/आवंटन पत्र के सम्बंध में सक्षम स्तर पर अपील/निगरानी के लिये स्वतंत्र है। लिहाजा निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/4/18

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official